बजट–महत्वपूर्ण

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय–नया रायपुर

क्रमांक 02 /वित्त/ब–4/2016 नया रायपुर, दिनांक 01.04.2016

प्रति,

(1) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
मंत्रालय, नया रायपुर

(2) अध्यक्ष, राजस्व मण्डल,
बिलासपुर

(3) समस्त विभागाध्यक्ष
छत्तीसगढ़

विषय :– वर्ष 2016–2017 के बजट आबंटन की संसूचना

वर्ष 2016–2017 के बजट अनुमान से संबंधित विनियोग विधेयक, 2016 पर माननीय राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है। बजट पुस्तिकाएं विभागों को पृथक से भेजी गयी हैं तथा वित्त विभाग की वेबसाइट http://finance.cg.gov.in पर भी उपलब्ध है। अब बजट नियंत्रक अधिकारियों द्वारा अधीनस्थ आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को तत्काल बजट आबंटन जारी करने के लिए निम्नानुसार कार्यवाही की जाए–

1.2 वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 166/एल 2–2/2012/ब–4/चार, दिनांक 15.05.2012 (वित्त निर्देश क्रमांक 30/2012) द्वारा शासकीय व्यय में गुणवत्ता के उद्देश्य से Cash Management System लागू करने बाबत् निर्देश जारी किए गए हैं। सारांश में इसका उद्देश्य यह है कि वित्तीय वर्ष में बजट में समुचित उपयोग के लिए विभागों द्वारा कार्ययोजना तैयार की जाए तथा वर्ष के दौरान व्यय इस प्रकार नियंत्रित किया जाए कि अंतिम तिमाही में व्यय का आधिक्य (Rush Of Expenditure) न हो। इस उद्देश्य से वित्तीय वर्ष में व्यय की सीमा निम्नानुसार निर्धारित की गई है–

1.2.1 विभागों को वित्तीय वर्ष की प्रथम छमाही में कुल बजट प्रावधान का 40 प्रतिशत व्यय करना होगा, जिसमें से प्रथम तिमाही में 25 प्रतिशत तथा द्वितीय तिमाही में 15 प्रतिशत व्यय शामिल होगा।

आयोजना मद में बजट आबंटन की सर्वर में प्रविष्टि 2 किश्तों में अर्थात प्रथम छःमाही तथा द्वितीय छःमाही के लिए ही की जाएगी, न कि प्रत्येक

तिमाही के लिए। व्यय की सीमा तिमाही के लिए ही होगी एवं व्यय की मॅानीटरिंग वित्त विभाग द्वारा तिमाही आधार पर की जाएगी।

1.2.2 कंडिका 1.2.1 में वर्णित सीमा आयोजना अंतर्गत वेतन–भत्ते एवं केन्द्र प्रवर्तित, केन्द्र क्षेत्रीय तथा अतिरिक्त/विशेष केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं के केन्द्रांश पर लागू नहीं होगी। साथ ही ऐसी केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं, जिनमें भारत सरकार के दिशा–निर्देशानुसार राज्यांश की अनुपातिक राशि केन्द्रांश के साथ विमुक्त किया जाना आवश्यक है, के राज्यांश पर भी यह सीमा लागू नहीं होगी।

1.2.3 द्वितीय छमाही में कुल बजट प्रावधान का 60 प्रतिशत व्यय किया जाएगा, जिसमें से तृतीय तिमाही में 25 प्रतिशत एवं चतुर्थ तिमाही में 35 प्रतिशत व्यय शामिल होगा।

1.2.4 **वित्तीय वर्ष के अंतिम माह अर्थात मार्च में व्यय की अधिकतम सीमा कुल बजट प्रावधान का 15 प्रतिशत तक होगी।**

1.2.5 **प्रथम छमाही में निर्धारित सीमा से कम व्यय करने की स्थिति में बचत राशि का 50 प्रतिशत, तृतीय तिमाही में व्यय के लिए अग्रेषित (carry forward) की जा सकेगी जिसका उपयोग तृतीय तिमाही में करना अनिवार्य होगा।** इसके लिए विभागों को निर्धारित सीमा से कम व्यय का औचित्य स्पष्ट करते हुए वित्त विभाग से सहमति प्राप्त करनी होगी। बचत की शेष 50 प्रतिशत राशि आवश्यकता के आधार पर अन्य विभागों को आबंटित की जाएगी।

1.2.6 कतिपय केन्द्रीय योजनाओं में अंतिम किश्त मार्च के महीनें में प्राप्त होती है । अतः ऐसे प्रकरणों में कंडिका 1.2.4 में वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में व्यय के लिए निर्धारित सीमा लागू नहीं होगी।

1.2.7 विधायक निधि पर कंडिका 1.2.1, 1.2.3 एवं 1.2.4 द्वारा निर्धारित व्यय सीमा लागू नही होगी।

1.2.8 स्थापना अनुदान एवं अशासकीय संस्थाओं को अनुदान अंतर्गत प्रथम छमाही के लिए 40 प्रतिशत एवं द्वितीय छमाही के लिए 60 प्रतिशत व्यय सीमा निर्धारित की जाती है। प्रथम छमाही में निर्धारित सीमा से कम व्यय करने की स्थिति में बचत राशि का 50 प्रतिशत तृतीय तिमाही में व्यय के लिए अग्रेषित (carry forward) की जा सकेगी। जिसका उपयोग तृतीय तिमाही में करना अनिवार्य होगा।

2. बजट आबंटन की प्रक्रिया–

(अ) आयोजना मदः–

उपर्युक्त निर्देश के अनुरूप विभागीय बजट नियंत्रक अधिकारियों द्वारा अधीनस्थ आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को निर्धारित समय–सीमा में निम्नानुसार बजट आबंटन जारी किया जाएः–

2.1 **वित्तीय वर्ष की प्रथम छमाही (अप्रैल–सितम्बर, 2016) के लिए विभागों द्वारा 40 प्रतिशत सीमा तक आबंटन जारी किया जाए। यह सीमा विभाग के कुल आयोजना बजट प्रावधान पर लागू होगी, अर्थात आयोजना के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में आवश्यकतानुसार व्यय की सीमा में शिथिलता रहेगी। संचालनालय,**

कोष, लेखा एवं पेंशन के मुख्य सर्वर में इस आशय का नियंत्रण (check) रहेगा कि उपरोक्तानुसार निर्धारित सीमा से अधिक आबंटन जारी नहीं हो सके।

2.2 उद्देश्य शीर्ष 01 (वेतन भत्ते), 02 (मजदूरी), 04 (कार्यालय व्यय), के विस्तृत शीर्ष 001 (डाक कार्य पर व्यय), 002 (दूरभाष पर व्यय), 005 (बिजली एवं जल प्रभार), 07 (आकस्मिकता स्थापना) तथा 34 (वाहन क्रय) पर तिमाही/छःमाही वितरण का प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

2.3 **Cash Management System के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी विभागाध्यक्ष (बजट नियंत्रक अधिकारी) कृपया यह सुनिश्चित करें कि उनके अधीनस्थ आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को आगामी छः माह के लिए बजट आबंटन अनिवार्यतः दिनांक 21.04.2016 तक मुख्य सर्वर में अपलोड कर दिया जाए। इस हेतु यह व्यवस्था की गई है कि दिनांक 21.04.2016 के पश्चात् मुख्य सर्वर स्वतः लॉक हो जाए एवं इसके पश्चात् किए जाने वाले बजट आबंटन हेतु वित्त विभाग से अनुमति प्राप्त करनी होगी एवं इसकी जानकारी समन्वय में माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में लायी जाएगी।**

2.4 वर्ष 2013–14 से निर्माण विभागों तथा वन विभाग के लिए ई–वर्क्स प्रणाली लागू की गई है। **नवीन व्यवस्था के अंतर्गत संबंधित बजट नियंत्रक अधिकारियों को निर्धारित समय–सीमा (21 अप्रैल, 2016) तक मुख्य सर्वर में अपने अधीनस्थ आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के लिए बजट आबंटन की प्रविष्टि अपलोड करना होगा। सामान्यतः निर्माण विभागों एवं वन विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा माह मार्च के अंत में अधिक राशि आहरण की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट किया जाता है कि विभाग अधीनस्थ कार्यालयों को समय पर राशि का आबंटन एवं आहरण किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि अंतिम समय में व्यय की प्रवृत्ति (rush of expenditure) को प्रभावी रूप से नियंत्रित किया जा सके।**

2.5 अधीनस्थ कार्यालयों को बजट आबंटित करते समय बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा इस विभाग के निर्देशों के अनुसार जिला मुख्यालय एवं दूरस्थ अंचलों में पदस्थ शासकीय कर्मचारियों के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए समुचित धनराशि आबंटित की जाए।

2.6 मांग संख्या 15, 41, 42, 53, 64, 68, 82 एवं 83 के अधीन प्रावधानित राशि का आबंटन आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा इस ज्ञापन में निर्धारित शर्तो के अधीन दिया जाएगा।

(ब) आयोजनेत्तर मदः–

2.7 आयोजनेत्तर मद के आबंटन हेतु उपर्युक्त कंडिका 2.1 से 2.4 तक के निर्देश लागू नहीं होंगे। इस हेतु बजट नियंत्रण अधिकारी आवश्यकतानुरूप आबंटन जारी कर सकेंगे।

3. बजट आबंटन का उपयोग–

3.1 **आबंटनों के विरूद्ध व्यय, वित्तीय अधिकारों का प्रत्यायोजन पुस्तिका के भाग 'एक' एवं 'दो' में दिए गए अधिकारों के अंतर्गत किया जाए।** जिन प्रकरणों में

वित्त विभाग की सहमति/स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है, वित्तीय स्वीकृति जारी करने से पूर्व नस्ती वित्त विभाग को भेजी जाए।

3.2 **किसी भी हालत में अतिरिक्त आबंटन की प्रत्याशा में बजट आबंटन से अधिक व्यय नहीं किया जाएगा।**

3.3 निर्माण कार्य विभागों के बजट में "डिपाजिट मद" में रखी गई राशि का आबंटन, व्यय एवं वर्षान्त से पूर्व समायोजन, वित्त विभाग के निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

3.4 नाबार्ड पोषित योजनाओं में नाबार्ड की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत ही योजनाओं में व्यय किया जाएगा। साथ ही **व्यय की गई राशि के प्रतिपूर्ति दावे तत्काल एवं नियमित रूप से वित्त विभाग के माध्यम से नाबार्ड को प्रेषित किए जाएंगे, ताकि राज्य के वित्तीय संसाधनों पर दबाव की स्थिति निर्मित न हो।**

3.5 कई मदों में व्यय का प्रावधान इस आधार पर रखा गया है कि उसकी अनुपातिक राशि संस्थागत वित्तीय संस्थाओं अथवा भारत सरकार से प्राप्त होगी। ऐसे प्रकरण जैसे–केन्द्र क्षेत्रीय योजना, केन्द्र प्रवर्तित योजना, अतिरिक्त/विशेष केन्द्रीय सहायता, विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना तथा 14वें वित्त आयोग अंतर्गत प्राप्त अनुदान राशि, में सहायता राशि राज्य शासन के खाते में जमा होने के बाद ही व्यय की जाएगी।

3.5.1 राज्य शासन को सहायता राशि की प्राप्ति की पुष्टि वित्त विभाग की बेबसाईट **http://finance.cg.gov.in** से कराने का उत्तरदायित्व विभाग प्रमुख का होगा।

3.5.2 जिन प्रकरणों में व्यय की प्रतिपूर्ति के आधार पर सहायता प्राप्त होती है (RIDF ऋण, ADB ऋण) में व्यय की प्रतिपूर्ति 2 माह के अंदर सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी विभागाध्यक्ष की होगी।

3.5.3 **ऐसे प्रकरण जो राज्य शासन द्वारा किसी अन्य संस्था/व्यक्ति को ऋण देने से संबंधित है, में राशि वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति के बिना जारी नहीं की जाएगी (मुख्य शीर्ष 6000 से 7998 तक–शासकीय सेवकों को दिए जाने वाले अग्रिम को छोड़कर)।** ऐसे प्रकरणों में विभाग द्वारा ऋण की शर्ते, जिसमें ब्याज की दर, भुगतान की अवधि, मोरेटोरियम की अवधि सम्मिलित है, के प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही राशि जारी तथा आहरण की कार्यवाही की जाए । विभागाध्यक्ष इसके लेखे व वसूली की पंजी संधारित करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

3.5.4 **जिन प्रकरणों में अनुदान बाबत् प्रावधान का आधार विभिन्न राजस्व की प्राप्ति हो, उनमें अनुदान के विमुक्तिकरण से पूर्व वित्त विभाग से राजस्व प्राप्ति की पुष्टि करा ली जाए। यह प्रावधान विभिन्न निधियों द्वारा पोषित योजनाओं के अंतर्गत किए गए बजट प्रावधानों पर भी लागू होगा। ऐसे प्रकरणों में संबंधित विभाग/विभागाध्यक्ष महालेखाकार से पिछले वित्तीय वर्ष में संबंधित मद में प्राप्त वार्षिक आय की पुष्टि करा लेने के पश्चात ही वित्त विभाग की सहमति से स्वीकृति जारी करेगा।**

3.5.5 कतिपय विभागों को पंचायत एवं नगरीय संस्थाओं को अनुदान स्वीकृत करने हेतु आबंटन सौंपे जा रहे हैं। उन प्रकरणों में पंचायत/नगरीय निकायों के माध्यम से कराए जाने वाले कार्यों के लिए उन्हें आबंटन आदि समय पर देने का दायित्व संबंधित विभाग का होगा।

3.6 **व्यय करते समय शासन के मितव्ययता संबंधी समय–समय पर जारी आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाए।**

3.7 मैदानी कार्यालयों में आबंटन की संसूचना प्राप्त होने में विलंब को देखते हुए आबंटन की प्रत्याशा में 2 अप्रैल, 2016 से वेतन, मजदूरी तथा अन्य अत्यावश्यक व्यय के देयकों को, जिसमें आबंटन प्राप्त होना सुनिश्चित हो, पारित किया जाए। "दिनांक 21 अप्रैल, 2016 तक आबंटन प्राप्त करने की जिम्मेदारी आहरण एवं सवितरण अधिकारी की होगी" इस आशय का प्रमाण पत्र कोषालय/उप कोषालय द्वारा प्राप्त कर लिया जाए।

4. कृपया उपरोक्त निर्देशों के अनुरूप बजट में प्रावधानित राशि का आबंटन सुनिश्चित कराएं।

(अमित अग्रवाल)
सचिव

पृ. क्रमांक 03 /वित्त/ब–4/2016 नया रायपुर, दिनांक 01.04.2016

<u>प्रतिलिपि–</u>

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा, रायपुर
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नया रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल, महाधिवक्ता, उप महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, मानव अधिकार आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, बलोदाबाजार रोड, जीरो प्वाइंट, रायपुर
8. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय
9. सचिव, वित्त के निज सहायक, मंत्रालय
10. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़
11. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
12. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
13. राज्य सूचना आयुक्त, निर्मल छाया भवन, शंकर नगर, रायपुर
14. समस्त संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय
15. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, इंद्रावती भवन, नया रायपुर
16. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय

17. समस्त जिलाध्यक्ष, छत्तीसगढ़
18. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
19. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़
20. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़
21. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
22. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाईट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु
23. राज्य सूचना अधिकारी, एन आई सी मंत्रालय, नया रायपुर को राज्य शासन की वेबसाईट में अपलोड करने हेतु

(अरविन्द कुजूर)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी